213

[2022] 11 एस. सी. आर. 233

/

राजीव शुक्ला

बनाम

गोल्ड रश सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 5928)

/

8 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -एस. 21-अपीलार्थी ने एक नई कार बुक की, बिक्री के पूरे विचार का भुगतान किया-प्रतिवादी नं.1-विक्रेता ने एक प्रयुक्त कार वितरित की जिसका उपयोग "डेमो-टेस्ट ड्राइव वाहन" के रूप में किया गया था-राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों अपास्त करते हुए ते हुए आदेशों में संशोधन किया और अपीलकर्ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया-अपील पर कहा गया:एक बार जब नई कार बुक हो जाती है और पूरी तरह से बिक्री पर विचार किया जाता है, तो डीलर पर एक नई कार वितरित करने का शुल्क लगाया जाता है जो दोषपूर्ण नहीं है-नई कार के खिलाफ दोषपूर्ण कार वितरित करने की अनुमति नहीं थी-जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर पाया कि वितरित की गई कार उपयोग की गई थी-तथ्यों के इस तरह के निष्कर्षों को राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी-यह यू/एस द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से परे काम करता है।21(ख)-इसके अलावा, राष्ट्रीय आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार, जो कार वितरित की गई थी, वह एक दोषपूर्ण कार थी और इसलिए स्वयं भी निर्देश दिया कि दोषपूर्ण कार की डिलीवरी के लिए शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए-पूरी बिक्री के बावजूद नई कार वितरित नहीं करना और/या दोषपूर्ण कार वितरित करना अनुचित व्यापार प्रथा है-जिला मंच और राज्य आयोग ने प्रतिवादी को निर्देश देने में उचित ठहराया।1 वितरित कार को बदलने और एक नई कार वितरित करने के लिए-आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-राज्य आयोग द्वारा पुष्टि किए गए जिला मंच द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया-1 लाख रुपये की लागत का भुगतान प्रतिवादी नं।1.

/

/

/

/

/

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -धारा 21-पुनरीक्षण अधिकारिता-राष्ट्रीय आयोग की शक्तियां-जिनका प्रयोग किया जाता हैःराष्ट्रीय आयोग की शक्तियाँ बहुत सीमित हैं-केवल ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि राज्य आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है।

/

213 ए.

214 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

विधि द्वारा इसमें निहित, या अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ इस तरह से निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, राष्ट्रीय आयोग को पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित माना जाएगा-पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में राष्ट्रीय आयोग को जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर हैं।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 5928।

2015 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 2082 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

/

प्रवीण अग्रवाल, गौतम कुमार लाह, वेंकट कृष्ण कुंडुरु, श्रीमती किरण महतो, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव रामकृष्ण, सुश्री अंजलि चौहान, सुश्री समीना ठाकुर, श्रीमती नंदिनी गोरे, सुश्री सोनिया निगम, आदित्य सिधरा, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 2015 की पुनरीक्षण याचिका में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया है, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।
2. कि इसमें अपीलकर्ता-मूल शिकायतकर्ता ने एक टाटा विक्टा जीएक्स टी. सी. कार खरीदी। उन्होंने विक्रेता-मेसर्स गोल्ड रश सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड-के पास बुकिंग राशि जमा कर दी। 1 जिसके विरुद्ध एक रसीद जारी की गई थी।कि इसके बाद शिकायतकर्ता ने उक्त वाहन की खरीद राशि के लिए रुपये की एक और राशि जमा की।कि बुक की गई कार 26.05.2006 तक शिकायतकर्ता को नहीं दी गई थी।हालांकि, कार की डिलीवरी शिकायतकर्ता को कुल राशि जमा करने के एक साल की अवधि के बाद दी गई थी, जो कि पुरानी थी और 2005 मॉडल की थी और वास्तव में ए.

/

/

/

/

215

राजीव शुक्ला बनाम गोल्ड रश सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड।

& एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इस्तेमाल की गई कार।इसमें कई अन्य दोष भी थे।मूल शिकायतकर्ता के अनुसार कार पुरानी थी और यह पहले ही 10,000 किलोमीटर तक चल चुकी थी।जिस कार की डिलीवरी की गई थी, उसका उपयोग डीलर द्वारा "डेमो-टेस्ट ड्राइव व्हीकल" के रूप में किया गया था।मूल शिकायतकर्ता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई।हालाँकि, मामले का निपटारा नहीं किया जा सका और इसलिए, शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ जिला मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराईः

/

“i) उपरोक्त वितरित प्रयुक्त कार टाटा विक्टा जी. एक्स. टी. सी. मॉडल संख्या को बदलने के लिए विरोधी पक्ष को आदेश पारित करें। 2005, चेसिस नं. 446370702-938757, पंजीकरण नं. उत्तर प्रदेश बीएस-8084 और आवेदक/उपभोक्ता को नई कार/वाहन वितरित किया।

/

(ii) ऐसी सभी राशियों को ब्याज के साथ वापस करने का आदेश पारित करें, जिसे विरोधी पक्षों ने आवेदक/उपभोक्ता को दिया है।

iii) आवेदन के पैरा 24 में गणना और दावा किए गए अनुसार आवेदक/उपभोक्ता को उचित ब्याज के साथ पांच, मुआवजे, हर्जाने, व्यय, दावों और ऐसी सभी राशियों का भुगतान करने के लिए विरोधी पक्षों के खिलाफ आदेश पारित करें।

/

(iv) ऐसा आदेश या निर्देश पारित करना जो माननीय न्यायालय न्याय के हित में और साथ ही मामले की परिस्थितियों के अनुसार समझे।

/

2.1 जिला फोरम ने शिकायत की अनुज्ञात और प्रतिवादी नं.1 – विक्रेता द्वारा वितरित वाहन को वापस लेना और उसके बदले में शिकायतकर्ता को पहले जमा की गई राशि के बदले एक नई कार वितरित करना।जिला मंच ने मुकदमेबाजी की लागत के अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 5,000/- रुपये की राशि भी प्रदान की।जिला मंच ने विशेष रूप से एक निष्कर्ष दिया कि वितरित की गई कार का उपयोग कार के रूप में किया गया था और इसका उपयोग "डेमो-टेस्ट ड्राइव वाहन" के रूप में किया जा रहा था।

/

2.2 जिला फोरम द्वारा पारित आदेश की पुष्टि राज्य आयोग द्वारा की गई।हालाँकि, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया है कि वितरित की गई कार इस्तेमाल की गई कार थी।हालाँकि, यह निष्कर्ष देते हुए कि शिकायतकर्ता को एक दोषपूर्ण कार मिली, राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग द्वारा पुष्टि किए गए जिला मंच द्वारा पारित आदेशों को संशोधित किया और शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये की राशि का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

/

/

2.3 एन. सी. डी. आर. सी.-राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रवीण अग्रवाल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को परेशान करने में भौतिक रूप से गलती की है कि वितरित की गई कार एक इस्तेमाल की गई कार थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग दोनों ने विशिष्ट निष्कर्ष दिए कि वितरित की गई कार इस्तेमाल की गई कार थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष जो पूरे साक्ष्य की सराहना पर थे, उन्हें राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दरकिनार और/या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से परे शक्तियों का प्रयोग किया है।

/

/

/

3.1 अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी राष्ट्रीय आयोग द्वारा वितरित कार पर दर्ज किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर दिए गए निष्कर्षों के विपरीत हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिलीवरी की गई कार की चेसिस संख्या 939353 वाली टेस्ट ड्राइव/डेमो पर्ची को देखते हुए, यह स्थापित किया गया था और साबित किया गया था कि डिलीवरी की गई कार का उपयोग डेमो/टेस्ट ड्राइव कार के रूप में किया गया था।

/

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब शिकायतकर्ता ने एक नई कार के लिए पूर्ण बिक्री विचार का भुगतान किया, तो डीलर पर नई कार की आपूर्ति करने का शुल्क लगाया गया था जिसे बुक किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नई कार की आपूर्ति न करना, जिसे बिक्री के भुगतान पर भी बुक किया गया था, बेईमानी और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जिला मंच और राज्य आयोग ने प्रतिवादी नं.1 – डीलर को पहले जमा की गई राशि के बदले नई कार देने के लिए।

/

/

3.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और जिला मंच द्वारा पारित और राज्य आयोग द्वारा पुष्टि किए गए निर्णय और आदेश को बहाल किया जाए।

/

217

राजीव शुक्ला बनाम गोल्ड रश सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड।

& एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

4. श्री अभिनव रामकृष्ण, प्रतिवादी नं. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।1 राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते हुए ठोस कारण दिए गए हैं कि वितरित की गई कार एक इस्तेमाल की गई कार थी।4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन पर, राष्ट्रीय आयोग ने सही पाया है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि वितरित की गई कार एक पुरानी कार थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

/

/

5. टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ भटनागर ने कहा है कि उत्तरदाता नं.2 – टाटा मोटर्स लिमिटेड एक प्रोफार्मा प्रतिवादी है क्योंकि प्रतिवादी नं.2 – टाटा मोटर्स लिमिटेड।6. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

/

7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता-मूल शिकायतकर्ता ने एक नई कार बुक की और इस तरह पूरी बिक्री का भुगतान किया।इसलिए, जब शिकायतकर्ता-ग्राहक ने एक नई कार बुक की और एक नई कार की बिक्री के लिए भुगतान किया, तो डीलर को नई कार देने और/या देने के लिए बाध्य होना पड़ा।इसके बजाय, प्रतिवादी नं।1 – विक्रेता ने इस्तेमाल की गई कार को वितरित किया जिसका उपयोग "डेमो-टेस्ट ड्राइव वाहन" के रूप में किया गया था।यहां तक कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार जो कार वितरित की गई थी वह एक दोषपूर्ण कार थी।यहां तक कि नई कार के खिलाफ दोषपूर्ण कार देने की भी अनुमति नहीं थी।पूर्ण बिक्री पर विचार के बावजूद नई कार की डिलीवरी नहीं करना

और/या दोषपूर्ण कार की डिलीवरी को अनुचित व्यापार व्यवहार कहा जा सकता है।इसलिए, जिला मंच और राज्य आयोग ने प्रतिवादी नं.1 – वितरित कार को बदलने और एक नई कार वितरित करने के लिए विक्रेता।

/

/

/

7.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग ने समवर्ती रूप से पाया कि वितरित की गई कार इस्तेमाल की गई कार थी।जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के ऐसे निष्कर्षों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी

/

पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता।यह ध्यान देने योग्य है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 के अंतर्गत निहित पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।धारा 21 (बी) के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास अभिलेख मंगाने और किसी भी उपभोक्ता विवाद में उचित आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो किसी भी राज्य आयोग से पहले लंबित है या किसी राज्य आयोग द्वारा तय किया गया है, जहां यह राष्ट्रीय आयोग को प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या इस तरह से निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, या अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में कार्य किया है।इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग की शक्तियाँ बहुत सीमित हैं।केवल ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि राज्य आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ इस तरह से निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, राष्ट्रीय आयोग पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित होगा।पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता का प्रयोग करने में राष्ट्रीय आयोग के पास जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर हैं।इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय राष्ट्रीय

आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 (बी) के अंतर्गत प्रदत्त पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से परे काम किया है।

/

/

/

7.2.जैसा कि ऊपर देखा गया है, जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग दोनों ने विशेष रूप से यह निष्कर्ष दिया कि वितरित किया गया वाहन उपयोग की गई कार थी जिसका उपयोग "डेमो-टेस्ट ड्राइव वाहन" के रूप में किया गया था।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, राष्ट्रीय आयोग ने भी देखा है और कहा है कि वितरित किया गया वाहन दोषपूर्ण था और इसलिए राष्ट्रीय आयोग ने भी निर्देश दिया है कि दोषपूर्ण कार की डिलीवरी के लिए शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये की राशि का मुआवजा दिया जाए।नई कार की डिलीवरी न करना एक अनुचित व्यापार प्रथा कहा जा सकता है और यहां तक कि इसे विक्रेता की ओर से बेईमानी और नैतिकता और नैतिकता के खिलाफ भी कहा जा सकता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक बार जब नई कार बुक हो जाती है और पूरी बिक्री का भुगतान किया जाता है, तो डीलर पर एक नई कार वितरित करने का शुल्क लगाया जाता है जो दोषपूर्ण नहीं है, इसलिए जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग ने डीलर को एक नई कार की डिलीवरी देने का निर्देश देना उचित ठहराया।

/

/

/

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2015 की पुनरीक्षण याचिका No.2082 में पारित दिनांकित 04.01.2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

/

& एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

और अलग रख दें।जिला फोरम द्वारा 2007 के उपभोक्ता मामले में पारित 29.04.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश की पुष्टि राज्य आयोग द्वारा 2011 की अपील No.910 में 19.09.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है।उत्तरदाता नं.1 जिला फोरम

द्वारा पारित निर्णय और आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।तदनुसार, वर्तमान अपील को उपरोक्त सीमा तक लागत के साथ अनुज्ञात गई है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करने के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।इस तरह की जमा राशि पर लागत/मुकदमेबाजी लागत आदि के लिए इसमें अपीलार्थी को Rs.50,000/- का भुगतान किया जाए और Rs.50,000/- का हस्तांतरण मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एम. सी. पी. सी.), भारत का सर्वोच्च न्यायालय , नई दिल्ली को किया जाए।

/

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/

/